कार्यालय नगरपरिषद् हनुमानगढ़–राजस्थान

क्रमांकः–एफ.8भूमि( )2023 / 3061 दिनांकः– 28-6-2023

–: आपत्ति सूचना :–

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि निदेशालय के आदेश क्रंमाक प.8(ग)( )नियम / डीएलबी / 21 / 673509 दिनांक 04.08.2021 द्वारा सर्वेक्षित / चिन्हित बस्ती को कच्ची बस्ती की सूची से पृथक (अनाधिसूचित / डी–नोटिफाईड) करने के लिए स्थानीय एम्पावर्ड कमेटी को अधिकृत किया गया है।

एम्पावर्ड कमेटी बैठक क्रंमाक 2763 दिनांक 23.06.2023 के बिन्दु संख्या 02 में वार्ड संख्या 60 कच्ची बस्ती के अम्बेडकर भवन (करणी चौक) को शामिल करते हुए स्टेडियम को छोड़ते हुए उतर दिशा की तरफ चलते करणी माता मन्दिर शामिल करते हुए शेखावत आटा चक्की, सुरेश के खोखे को शामिल करते हुए, राजेश बेनीवाल की डेयरी को छोड़ते हुए पूर्व की तरफ चलते हुए दर्शन सिह थानेदार के मकान को शामिल करते हुए दक्षिण की तरफ चलते हुए पप्पू टेलर के मकान को छोड़ते हुऐ दर्शन फौजी, रमेश सीवर को शामिल करते हुए, सुभाष चन्द्र व्यास को छोड़ते हुए जलधंर सिह को शामिल करते हुए पूर्व की तरफ चलते हुए आई.डी.एस.एम.टी आवासीया योजना को छोड़ते हुए सुरेश गोलगप्पे, बलवीर राव, राणा निवास को शामिल करते हुऐ दक्षिण की तरफ चलते हुए चन्द्रशेखर को लेते हुए काली चरण को छोड़ते आर.के मीणा छोड़ते हुए श्रीराम मीणा, गुलशन चुड़ी भण्डार को लेते हुए जोगिन्दर कुम्हार के मकान को छोड़ते सांवर मल सैनी को लेते हुए जे.डी खान को छोड़ते हुए पश्चिम की और मुड़ते हुऐ, नन्द किशोर को छोड़ते हुए, मोहनलाल शर्मा, सोमपाल को लेते हुए नरेश कौशिक, दिनेश को छोड़ते हुए दक्षिण की तरफ मुड़ते, राम लाल को शामिल करते हुए। करणी धर्मशाला को छोड़ते हुए अम्बेडकर भवन तक के क्षेत्र को कच्ची बस्ती से डी–नोटिफाईड किया जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः वार्ड नं0 60 में उक्त क्षेत्र को कच्ची बस्ती से डी–नोटिफाईड किया जाने के सन्दर्भ में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो उक्त सूचना प्रकाशन होने की तिथि के 15 दिवस में इस कार्यालय को सूचित करे बाद गुजरने मियाद उक्त क्षेत्र को कच्ची बस्ती से डी–नोटिफाईड किया जाने की नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

आयुक्त / प्रभारी अधिकारी
नगरपरिषद् हनुमानगढ़
दिनांकः–

क्रमांकः–एफ.8भूमि( )2023 /
प्रतिलिपि – वास्ते सूचनार्थ एवं पालनार्थ :–

1. श्रीमान कलक्टर महोदया, हनुमानगढ़।
2. श्रीमान सभापति महोदय नगरपरिषद हनुमानगढ़ ।
3. कार्यालय अधीक्षक नगरपरिषद हनुमानगढ़।
4. श्री सुरेन्द्र कुमार कम्प्युटर ऑपरेटर को आदेशित किया जाता है कि सार्वजनिक सूचना को नगरपरिषद हनुमानगढ़ की बेबसाईट पर अपलोड करें।
5. श्री भरतभुषण शर्मा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नगरपरिषद हनुमानगढ़ को भेजकर आदेशित किया जाता है राज्य स्तरीय दो समाचार पत्र में प्रकाशन करवायें।

आयुक्त / प्रभारी अधिकारी
नगरपरिषद् हनुमानगढ़